

प्रेषक

भूमि अर्जन अधिकारी
शहरी सम्पदा, हरि०, गुरुग्राम ।

सेवा में

लक्ष्मणाराम ठाकुर मीर खेड

गाँव - मोमि
गुरुग्राम

यादी क्रमांक 6156

दिनांक 21.8.18

विषय:- माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ाये गये मुआवजा की राशि का प्रमाण पत्र देने बारे ।

उक्त विषय पर कथन है कि आपकी जमीन अवार्ड नम्बर66.....दिनांक 23-12-09
ग्राममोमि.....150 मीटर रोड़ गुरुग्राम के लिए अर्जित की गई थी।
जिसमें माननीय कोर्ट द्वारा दिनांक5-9-17.....को मुआवजा बढ़ाकर 40637513/-
रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट बढ़ाई गई मुआवजा की राशि आपके
खाते में निम्न प्रकार से जमा कर दी गई है।

एल०ए०सी०न०
कराई

प्रार्थी का नाम

ग्राम

मेमो न०./चैक न०

जमा

दिनांक

राशि

144/14 लक्ष्मणाराम ठाकुर मोमि 20.7.18 68377513/-
मीर खेड
(डि० करीब 15 लाख/एकड़
मिलकर 40612 पाये जा
रहे)

आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

मुआवजा राशि का मू० = 68377513
जिसका 2553 दि०-29-1-2019 का मू० = 24273500

वाली मू० = 44105013/-

भूमि अर्जन अधिकारी
शहरी सम्पदा, हरि०, गुरुग्राम ।
8

किस्म वसीका : बयनामा
 मालयती : मुब0 2,42,72,500 / रू0
 स्टाम्प : माफ
 स्टाम्प नं0 / तिथि :
 रकबा : 25 कनाल 11 मरला
 वाका आबादी / सिवाना : फतेहपुर

हरियाणा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण होने के कारण स्टाम्प माफ है।

मनकि रणधीर - महेन्द्र - जगदीश पुत्रान श्री बलवीर पुत्र बादाम 3/16 भाग जयप्रकाश
 पुत्र धर्मपाल पुत्र बलवीर 1/16 भाग मनोज कुमार पुत्र वेदराम पुत्र रामकला 1/8 भाग

Randhir Singh महेन्द्र जगदीश बलवीर, बादाम, जयप्रकाश,

हुकमसिंह पुत्र रामकला पुत्र बादाम 1/8 भाग निवासी फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूँह के है। जो कि हम खेवट खाता न0 130/153 मु0 न0 33 किला न0 19/2 (5-7) 22 (8-0) 23/2 (0-13) मु0 न0 38 किला न0 2/2 (6-18) 3 (8-0) 8 (8-0) 9 (8-0) 12/2 (2-13) 13/1 (3-11) किता 9 रकबा 51 कनाल 2 मरला का 1/2 भाग बयकदर 25 कनाल 11 मरला व बरुवे जमाबंदी साल 2015 - 2016 व बरुवे इन्तकाल 1051 - 1062 गाँव फतेहपुर तह0 तावडू जिला नूँह का मालिक व काबिज हूँ। यह अराजी ताहाल हर किस्म के भार से पाक व साफ है। इस अराजी पर कोई सरकारी या गैर सरकारी या किसी बैंक या सोयायटी का कोई भार नहीं है ना ही अराजी की बाबत कोई मुकदमा किसी भी अदालत में चला हुआ है। ना ही अराजी किसी अदालत द्वारा कुर्क है। ना ही अराजी को आज से पहले किसी दिगर शख्स के पास रहन, बय, पट्टा, डिगरी आदि किया हुआ है। ना ही अराजी सरपलस में है। ना ही अराजी की बाबत आज से पहले कोई इकरारनामा सौदा बय आदि किसी दिगर शख्स के साथ किया हुआ है। अराजी ताहाल हर किस्म के भार से पाक व साफ है। अब मुझे बराये तरक्की, दीगर जायदाद वगैरा रूपयों की जरूरत है इसलिए आज अपने ठीक होश व हवाश में बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी व खुशी से अपने उपरोक्त आराजी रकबा 25 कनाल 11 मरला को मय हकूक, दाखली व खारजी के बदले मु0 2,42,72,500/- रू0 (दो करोड बयालिस लाख बहेतर हजार पांच सौ रुपये केवल) में सत्यनारायण जांघू पुत्र मीरसिंह जांघू निवासी ई 2364 अंसल पालम विहार गुरुग्राम को बय कर दी है। कुल जरे बय तमाम मु0 2,42,72,500/- रू0 (दो करोड बयालिस लाख बहेतर हजार पांच सौ रुपये केवल) नगद व निम्न प्रकार वसूल पाये:-

चैक नं0	दिनांक	रूपये
301698	05/11/18	800000/-
723421	29/01/19	52,68,125/-

Rundh's Singh जे-पुर्गि Jagahim.

Fateh-pur.



विक्रेता



प्रेता



गवाह



उप /संयुक्त पेंजीयन अधिकारी

301697	03/11/18	8,00000/-
723422	29/01/19	52,68,125/-
301693	03/11/18	500000/-
723423	29/01/19	25,34,062/-
301694	03/11/18	5,00000/-
723424	29/01/19	25,34,062/-
301695	03/11/18	500000/-
723425	29/01/19	25,34,062/-
301696	03/11/18	500000/-
723426	29/01/19	25,34,062/-

अब बाया से खरीदार को कोई लेन देन बाकी नहीं रहा है। उपरोक्त अराजी 25 कनाल 11 मरला पर कब्जा मौके पर खरीदार को देकर पूर्ण रूप से अपने जैसा मालिक वा काबिज बना दिया है। खरीदार अराजी रकबा मुबईया को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करे उजर नहीं होगा। तमाम खर्चा बयनामा खरीदार ने लगाया है। दाखिल खारीज कागजात माल में दर्ज कराकर मन्जूर करा दूंगा, अगर ना कराउ तो खरीदार बजरिये बयनामा हजा दस्तावेज की रुह से खुद करा लेवे, उजर नहीं होगा। अगर बय शुदा आराजी या इसका कोई हिस्सा किसी नुक्स कानूनी या मलकियत के सवाल पर कब्जा खरीदार से निकल जावेगा या उसकी मलकियत ना रही तो मैं बाया वापसी कुल जरे बय मय हरजा वा खर्चा की अदायगी का जिम्मेवार रहूंगा। बयनामा रजिस्टरी के बाद बय शुदा आराजी से मेरा या मेरे वारिसान का कोई ताल्लुक व वास्ता किसी किसम का नहीं रहेगा। मैं और मेरे वारिसान इस तहरीर के

Ramdhari Singh  Jagdish. Tulbalkar.

विक्रेता	हुकम सिंह		
विक्रेता	मनोज कुमार		
विक्रेता	जयप्रकाश		TaiPrakash.
विक्रेता	रुणदीप		Rundhi's Singh
विक्रेता	महेन्द्र		महेन्द्र
विक्रेता	जगदीश		Jagdish.
क्रेता	सत्यनाराय जाधव		Satyanaray
व्याह	मन्जेशकुमार		Manjesh
व्याह	अशोक		Ashok

प्रमाण-पत्र

त किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 2.553 आज दिनांक 29/01/2019 को वही न: 1 जिल्द न: 1,325 के न: 74 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त वही सख्या 1 जिल्द न: 1,390 के सख्या 46 से 47 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और 1 ने अपने हस्ताक्षर/चिह्नान अंगुठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 29/01/2019

उप/सम्बन्धित पंजीकृत अधिकारी
तावड़

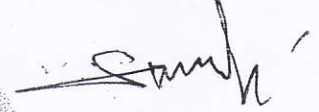
पाबन्द रहेगें । । अतः यह बयनामा बाया निर्देशानुसार लिख दिया है सनद रहे और समय पर काम आवें । तहरीर तारीख

बाया :

खरीदार :

रणधीर - महेन्द्र - जगदीश - जयप्रकाश - मनोज कुमार - हुकमसिंह
महेन्द्रकृष्ण जगदीश, जयप्रकाश.

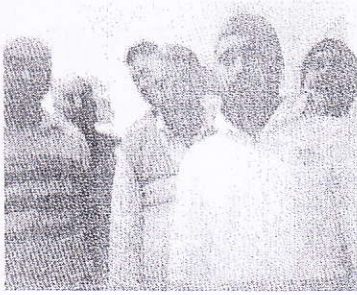
सत्यनारायण जाधू



गवाह 1: मन्जेश कुमार नम्बरदार निवासी फतेहपुर गवाह 2: अशोक पुत्र गिनोरी निवासी फतेहपुर
Mansh

Ashok

DRAFTED BY
ASHOK KUMAR
Advocate
Distt. Court, NUH



विवेचना



क्रेता



गवाह



उप /संयुक्त पंजीयन अधिकारी